

उपायुक्त का न्यायालय, हजारीबाग

PDS Licence Cancellation Appeal No.-04/2019

जागेश्वरी महिला मण्डल

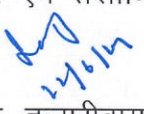
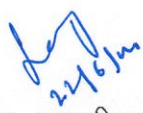
—बनाम—

राज्य (जिला आपूर्ति पदाधिकारी, हजारीबाग)

आदेश की क्रम सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
22/6/24	प्रस्तुत अनुज्ञप्ति रद्द अपील जिला आपूर्ति पदाधिकारी, हजारीबाग के आदेश ज्ञापांक-186/आ0, दिनांक 21.02.2019 के द्वारा जन वितरण प्रणाली विक्रेता विष्णु महिला मण्डल, अनुज्ञप्ति संख्या-02/2009, ग्राम-जोकट, पंचायत करमा-2, प्रखण्ड-चौपारण के अनुज्ञप्ति रद्द किये जाने के पारित आदेश के विरुद्ध दायर किया गया है। दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं निम्न न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी की ओर से कहा गया कि अपीलार्थी जन वितरण प्रणाली विक्रेता ग्राम-जोकट, पंचायत करमा-2, प्रखण्ड-चौपारण, जिला-हजारीबाग के अनुज्ञप्ति सं०-02/09 के अनुज्ञप्तिधारी हैं।	
	सोशल मीडिया से मिला शिकायत के आलोक में प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, चौपारण के द्वारा दिनांक 23.08.2018 को जागेश्वरी महिला मंडल, अनुज्ञप्ति संख्या 02/09 की जांच गयी। जांच में पाया गया कि जन वितरण प्रणाली दुकानदार के द्वारा काफी मात्रा में खाद्यान्न की कटौती कर लाभुकों के बीच वितरण किया जा रहा है। कार्डधारियों को डिब्बे से नापकर चावल दिया जाता है। कार्डधारियों से अधिक पैसे की भी उगाही की जाती है। उक्त जांच प्रतिवेदन के आलोक में जिला आपूर्ति कार्यालय के आदेश ज्ञापांक 784ए दिनांक 20.09.2018 के द्वारा जन वितरण प्रणाली दुकान जागेश्वरी महिला मंडल की अनुज्ञप्ति को निलंबित करते हुए, स्पष्टीकरण की मांग की गई। जागेश्वरी महिला मंडल, जन वितरण प्रणाली दुकान की अध्यक्ष हेमन्ती देवी, सचिव-तेजवन्ती देवी एवं कोषाध्यक्ष मंजू देवी के द्वारा उक्त जांच के संबंध में स्पष्टीकरण दिया गया। जिला आपूर्ति कार्यालय के ज्ञापांक 931/आ0, दिनांक 31.10.2018 के द्वारा प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, चौपारण को प्राप्त स्पष्टीकरण पर जांच कर मंतव्य के साथ जांच प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु निदेश दिया गया।	
	Page 1 of 3	

आदेश की क्रम सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, चौपारण के पत्रांक 39 दिनांक 07.01.2019 के द्वारा जागेश्वरी महिला मंडल जन वितरण प्रणाली दुकान का स्थलीय जांच किया गया, जिसमें पाया गया कि विक्रेता के द्वारा लाभुकों को राशन चावल तौलकर कभी नहीं दिया जाता था। एक तेल के टिना से नापकर सभी कार्डधारियों को खाद्यान्न कम दिया जाता था। कार्डधारियों के द्वारा बताया गया कि विक्रेता के द्वारा 02 से 03 किलोग्राम खाद्यान्न कम दिया जाता था। इस संबंध में जन वितरण प्रणाली दुकान की अध्यक्ष हेमन्ती देवी, सचिव-तेजवन्ति देवी एवं कोषाध्यक्ष मंजू देवी से पूछताछ किया गया, जिसमें अध्यक्ष एवं सचिव ने बताया कि सचिव के देवर ब्रजकिशोर ठाकुर र्स्फ नीरज ठाकुर के द्वारा ही राशन का वितरण किया जाता है। जांच एवं लाभुकों के बयान की विडियोग्राफी भी करायी गयी। उक्त जांच से स्पष्ट होता है कि जागेश्वरी महिला मंडल के द्वारा लाभुकों के बीच खाद्यान्न वितरण में अनियमितता बरती जाती रही है तथा लाभुकों को निर्धारित मूल्य से अधिक राशि की वसूली भी की जाती है। प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, चौपारण के जांच में अपीलार्थी द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं पाया गया। जिसके क्रम में अनुज्ञप्तीधारी की अनुज्ञप्ति पत्रांक 186/आ0 दिनांक 21.02.2019 के द्वारा रद्द कर दी गयी। अपीलार्थी की ओर से कहा गया कि दिनांक 17.02.2011 को जिला आपूर्ति पदाधिकारी, हजारीबाग के समक्ष सभी संबंधित दस्तावेजों के साथ कारण पृच्छा दाखिल किया गया एवं कहा गया कि जो आरोप लगाये गये हैं वह बिलकूल ही गलत एवं बेबुनियाद है। जिन व्यक्तियों के द्वारा आरोप लगाये गये हैं वे शत्रुतापूर्ण हैं। जिसका जांच के क्रम में पूछताछ न तो अपीलकर्ता एवं उसके सहयोगियों की उपस्थिति में की गई और न ही उक्त पी0डी0एस0 दुकान के अन्य लाभार्थियों के समक्ष की गई। अपीलार्थी का कहना है कि कुछ शरारती तत्व के लोग ईर्ष्या, द्वेष में हम लोगों को फंसाया गया है। हम सभी हर माह प्रत्येक कार्डधारी को यूनिट के अनुसार वनज करके खाद्यान्न देते हैं और उसी के अनुसार निर्धारित मूल्य लेते हैं। उनके द्वारा कार्डधारियों को न ही कम राशन की आपूर्ति की जाती है और न	



आदेश की क्रम नं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
	ही निर्धारित मूल्य से अधिक राशि की मांग की जाती है। उन पर लगाये गये सभी आरोप बेबुनियाद है। अपीलार्थी का कथन है कि निम्न न्यायालय में दिये गये स्पष्टीकरण पर विचार नहीं किया गया जिसके क्रम में अनुज्ञप्ति संख्या-02/09 को रद्द कर दिया गया जिसे न्यायोचित नहीं कहा जा सकता है। अंत में निम्न न्यायालय के आदेश को निरस्त करने हेतु प्रार्थना किया गया। अपीलार्थी के उक्त कथन के प्रतिउत्तर में राज्य की ओर से विद्वान सहायक लोक अभियोजक द्वारा पक्ष रखा गया कि अपीलार्थी के द्वारा राशन वितरण में अनिमितता बरती जाती है जो प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, चौपारण द्वारा किये गये जांच प्रतिवेदन से स्पष्ट है। जिला आपूर्ति पदाधिकारी, हजारीबाग द्वारा अनुज्ञप्ति रद्द किये जाने के निमित्त विधि सम्मत प्रक्रिया का पालन किया गया है। दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के विश्लेषण तथा निम्न न्यायालय के अभिलेख/संचिका के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अनुज्ञप्ति रद्द करने के पूर्व विहित प्रक्रिया का अनुपालन किया गया है तथा जाँच के क्रम में अनुज्ञप्तिधारी द्वारा कार्डधारियों को कम खाद्यान्न आपूर्ति हुआ है। झारखण्ड लक्षित जन वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2017 के अध्याय-VI (शर्तों का उल्लंघन के कण्डिका 27 के उप कंडिका 01 का 'ख' एवं 'छ' का खुला उल्लंघन है। उक्त के आलोक में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश तथा भोजन के अधिकार के महत्व के आलोक में अनुज्ञप्ति रद्द करने संबंधी निम्न न्यायालय के द्वारा पारित आदेश को यथावत रखते हुए अपीलार्थी के अपील आवेदन को अस्वीकृत किया जाता है। आदेश की प्रति अपीलार्थी तथा जिला आपूर्ति पदाधिकारी, हजारीबाग को भेजी जाय। निम्न कार्यालय का अभिलेख वापस करें। लेखापित एवं संशोधित  उपायुक्त, हजारीबाग।  उपायुक्त, हजारीबाग।	

